# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी रूबी अंसार R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 140 / 2025 निर्णय दिनांक :–12.12.2025

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

पर्वत पुत्र गोकुल जाति बलाई उम्र बालिग निवासी ग्राम रतनपुरा पो0 सावंतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थी–

बनाम

1. गोकुल पुत्र चतुर्भुज उर्फ भज्जा जाति बलाई उम्र बालिग निवासी ग्राम रतनपुरा पो0 सावंतगढ़
2. जयकिशन पुत्र चतुर्भुज उर्फ भज्जा जाति बलाई उम्र बालिग निवासी ग्राम रतनपुरा पो0 सावंतगढ़
3. इन्द्रा पुत्री गोकुल जाति बलाई उम्र बालिग निवासी ग्राम रतनपुरा पो0 सावंतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. रामसिंह पुत्र गोकुल जाति बलाई उम्र बालिग निवासी ग्राम रतनपुरा पो0 सावंतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. आत्माराम पुत्र गोकुल जाति बलाई उम्र बालिग निवासी ग्राम रतनपुरा पो0 सावंतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. दुर्गालाल पुत्र गोकुल जाति बलाई उम्र बालिग निवासी ग्राम रतनपुरा पो0 सावंतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
7. नरेश देवी पत्नि रामसिंह जाति बलाई उम्र बालिग निवासी ग्राम रतनपुरा पो0 सावंतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
8. धर्मा देवी पत्नी आत्माराम जाति बलाई उम्र बालिग निवासी ग्राम रतनपुरा पो0 सावंतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
9. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक राज0
10. तहसीलदार महोदय, देवली जिला टोंक राज0
11. उप पंजीयक महोदय, देवली जिला टोंक राज0
12. पंजाब नेशनल बैंक देवली।

–प्रतिपक्षीगण–

उपस्थितिः–
श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता प्रार्थी

श्रीमती यामिनी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1
श्री बंशीलाल कलवार
अधिवक्ता अप्राथी संख्या 4 ता 8
श्री पारस चंद जैन अधिवक्ता अप्राथी सं0 12
एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध
अप्रार्थी संख्या 2 ता 3, 9 ता 11

## दावा घोषणा खातेदारी, दुरस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

### प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

**पत्रावली वास्तें निर्णय पेश हुई।** प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि आराजी भूमि खसरा नम्बर 1815 मिन वाके ग्राम चांदली पटवार हल्का चांदली तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित थी जिसका खातेदार काश्तकार चजुर्भुज उर्फ भज्जा पुत्र देवीलाल बलाई था। चतुर्भुज उर्फ भज्जा पुत्र देवीलाल बलाई की मृत्यु के बाद उक्त भूमि उसके वारिसान प्रतिपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी मे दर्ज हो गई जिसमें प्रतिपक्षी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा एवं

प्रतिपक्षी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा है। प्रार्थी एवं प्रतिपक्षी संख्या 1 ता 8 का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है:–

चजुर्भुज उर्फ भज्जा पुत्र देवीलाल(मृतक)

गोकुल पुत्र — जयकिश पुत्र

रामसिंह पुत्र — आत्माराम पुत्र — दुर्गालाल पुत्र — पर्वत पुत्र — इन्द्रा पुत्री

सेटलमेंट के बाद उक्त वर्णित आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 1815 मिन के हाल खसरा नम्बर 814 रकबा 1.04 है0 एवं साबिक खसरा नंम्बर 1814 के हाल खसरा नंबर 815 रकबा 0.01 है. गै0मु0 चाह बना दिय गये एवं उसके पश्चात उथरणा ढाणी के राजस्व ग्राम बन जाने के कारण इनके नये खसरा नम्बर 652 रकबा 1.04 है0 एवं खसरा नम्बर 653 रकबा 0.01 है0 बना दिये गये है। प्रतिपक्षी संख्या 1 अत्यंत वृद्ध व्यक्ति होने से प्रतिपक्षी संख्या 1 ने अपने 1/2 हिस्से की भूमि को आपने चारो पुत्रो प्रार्थी एवं प्रतिपक्षी संख्या 4 ता 6 को बराबर–बराबर हिस्सा करके अपनी जमीन का कब्जा संभला दिया था। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थी एवं प्रतीपक्षी संख्या 1 ता 8 की पुश्तेनी आराजीयात है जिससे प्रार्थी का भी 1/12 हिस्सा एवं प्रतिपक्षी संख्या 1 व 3 ता 6 का प्रत्येक का 1/12–1/12 हिस्सा है। प्रतिपक्षी संख्या 1 बहुत ही वृद्ध एवं अनपढ़ व्यक्ति है। प्रतिपक्षी संख्या 4 ता 6 ने आपस मे साजिश रचकर तथा अपने पिता के अनपढ़ होने का फायदा उठाकर उनको केसीसी ऋण दिलाने के बहाने देवली लाकर प्रतिपक्षी संख्या 1 के सम्पूर्ण 1/2 हिस्से की भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 22.01.2021 को प्रतिपक्षी संख्या 7 व 8 के हक में पंजीयन करवा लिया तथा इस विक्रय के आधार पर प्रतिपक्षी संख्या 7 व 8 के हक में नामांतकरण संख्या 325 दिनांक 24.02.2021 को तस्दीक करवा लिया गया है। इस विक्रय पत्र पर प्रतिपक्षी संख्या 6 ने बतोर गवाह अपने हस्ताक्षर किये है। उक्त विक्रय पत्र व नामांतकरण प्रार्थी के हितो के प्रतिकूल है। उक्त विक्रय पत्र, नामांतकरण, जमाबंदी का अंकन नुमाईशी एवं प्रारम्भतः ही अवैध एवं शून्य है, ऐसे अन्तरण से प्रतिपक्षी संख्या 7 व 8 को कोई विधिक अधिकार व हक पैदा नही होते है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में 1/12 हिस्सा है तथा अपने हिस्से की भूमि पर प्रार्थी का कब्जा है तथा कृषि कार्य कर अपना एवं अपने परिवार का पालना पोषण करता है। प्रार्थी अपने हिस्से की आराजीयात को गै0मु0 चाह खसरा नम्बर 653 से सिंचित करता है तथा प्रतिपक्षी न0 1 के नाम से कृषि कनेक्शन भी हो रखा है। प्रतिपक्षी संख्या 4 व 8 आये दिन प्रार्थी के 1/12 हिस्से के कब्जे कांश्त एवं उपयोग उपभोग के मजामहत करत है, फसल को कुएं से सिचिंत करने में बाधा पहुँचाते है तथा राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम का गलत अंकन होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि को अन्य के हक मे रहन, दान, बेचान करने की धमकी देते है। ऐसी स्थिति मे प्रतिपक्षी संख्या 4 ता 8 को उनके द्वारा किये जा रहे उक्त अवैध कृत्य से रोका जाना नितान्त आवश्यक है जिसके लिये प्रतिपक्षी संख्या 4 ता 8 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वह स्वंय जरिये एजेंट, नोकर चाकर के प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात मे प्रार्थी के 1/12 हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा नही करें। प्रार्थी को भूमि से बेदखल नही करें तथा प्रार्थी के हिस्से की भूमि की हद तक प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की मजामहत नही करें। प्रार्थी को अपने हिस्से की भूमि उक्त चाह खसरा नम्बर 653 से सिंचित करने से नही रोके, प्रार्थी के हिस्से की भूमि की हद तक प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी भूमि को अन्य किसी

व्यक्ति या संस्था को रहन, दान, बेचान, वसीयत व खुर्द बुर्द नही करें तथा प्रतिपक्षी संख्या 10 व 11 को भी पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वह उक्त आराजीयात बाबत किसी भी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत हो तो उसका पंजीयन नही करे तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। यदि प्रतिपक्षीगण को उक्त आशय से पाबंद नही किया गया तो प्रार्थी अपने जायज हक व अधिकार से वंचित हो जावेगा तथा अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना किसी भी तरह से संभव नही होगा तथा मुकदमे बाजी बंढ़ेगी तथा प्रति. सं. 10 के यहा जमीन रहन होने के कारण फोरमल पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात मे प्रतिपक्षी संख्या 2 को सहखातेदार होने एवं प्रतिपक्षीया संख्या 3 को हिस्सा होने से पक्षकार बनाया गया है जिनके खिलाफ किसी तरह की रिलिफ नही चाही गई है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिपक्षी संख्या 4 ता 8 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद पाबंद किया जावे कि वह स्वंय जरिये एजेंट, नोकर चाकर के वाद वर्णित आराजीयात हाल मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी हाल खसरा नम्बर 652 रकबा 1.04 है0 एवं खसरा नम्बर 653 रकबा 0.0100 है0 कुल किता–2, कुल रकबा 1.0500 है0 वाके ग्राम उथरणा पटवार हल्का चांदली तहसील देवली जिला टोंक राज0 में प्रार्थी के 1/12 हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा नही करे, प्रार्थी को भूमि से बेदखल नही करे तथा प्रार्थी के हिस्से की हद तक प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की मजामहत नही करें, प्रार्थी को अपने हिस्से की भूमि को उक्त चाह खसरा नम्बर 653 से सिंचित करने से नही रोके, प्रार्थी के हिस्से की भूमि की हद तक वाद वर्णित आराजी भूमि को अन्य किसी व्यक्ति या संस्था को रहन, दान, बेचान, वसीयत व खुर्द बुर्द नही करें तथा प्रतिपक्षी संख्या 10 व 11 को भी पाबंद किया जावे कि वह उक्त आराजीयात बाबत किसी भी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन हेत प्रस्तुत हो तो उसका पंजीयन नही करें तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा निम्न प्रकार से जवाब पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 2 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 3 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 4 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 5 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 6 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 7 स्वीकार है। प्रतिपक्षी संख्या 1 बहुत ही वृद्ध एवं अनपढ़ व्यक्ति है। प्रतिपक्षी संख्या 4 ता 6 ने आपस मे साजिश रचकर तथा मुझ प्रतिपक्षी संख्या 1 केसीसी ऋण दिलाने के बहाने देवली लाकर मुझ प्रतिपक्षी संख्या 1 के सम्पूर्ण 1/2 हिस्से की भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 22.01.2021 को प्रतिपक्षीया संख्या 7 व 8 के हक में पंजीयन करवा लिया तथा इस विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिपक्षी संख्या 7 व 8 के हक में नामांतकरण संख्या 325 दिनांक 24.02.2021 को तस्दीक करवा लिया गया। इस विक्रय पर प्रतिपक्षी संख्या 6 ने बतोर गवाह अपने हस्ताक्षर किये है। उक्त विक्रय पत्र, नामांतकरण, जमाबंदी का अंकन नुमाईशी एवं प्रारम्भतः ही अवैध एवं शून्य है तथा ऐसे अन्तरण से प्रतिपक्षी संख्या 7 व 8 को कोई विधिक अधिकार व हक पेदा नही होते है। मुझ प्रतिपक्ष संख्या 1 ने प्रतिपक्षी संख्या 7 व 8 के हक में अपनी भूमि विक्रय नही की है और ना ही कोई प्रतिफल राशि प्राप्त की है ऐसी स्थिति मे उक्त विक्रय पत्र व नामांतकरण को शून्य घोषित किया जाने तथा प्रार्थी को प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि मे 1/12 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाने में मुझ प्रतिपक्षी संख्या 1 को कोई आपत्ति नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 8 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 9स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 10 कानूनी है, जवाव की आवश्यकता नही है। अतः **जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इसमे मुझ प्रतिवादी संख्या 1 को कोई आपत्ति नही है।**

प्रतिपक्षगण नम्बर संख्या 4 ता 8 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा निम्न प्रकार पेश है :– प्रार्थना पत्र का चरण 1 गलत है और स्वीकार नही है। उक्त प्रकरण मे वर्णित भूमि में प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नहीं है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रतिपक्षीगण नम्बर 7 व 8 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जरिये दान पत्र के प्राप्त हुयी भूमि है, जिससे प्रार्थी का व प्रतिपक्षी संख्या 1 ता 3 का कोई लेना देना नही है। प्रार्थी को सफलता की कोई सम्भावना नही है। प्रथम दृष्टिया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नही है, अपितु प्रतिक्षपी 7 व 8 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात भूमि होने से प्रकरण प्रतिपक्षीगण संख्या 4 ता 8 के पक्ष में प्रबल होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाये जाने योग्य है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का चरण 2 साबिका खसरा नंबर 1815 मिन चांदली में स्थित है जिसका पूर्व खातेदार चतुर्भुज पुत्र देवीलाल बलाई था, उसकी मृत्यु के बाद प्रतिपक्षी संख्या 1 व 2 की खातेदारी में दर्ज होना व उनका 1/2, 1/2 हिस्सा पूर्व में दर्ज होना स्वीकार है। प्रतिपक्षीगण नंबर 7 व 8 खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात भूमि हाल खसरा नम्बर 652 रकबा 1.04 है0 एवं खसरा नम्बर 653 रकबा 0.01 है0 भूमि ग्राम उथरणा तहसील देवली में स्थित है। उक्त भूमि से प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्या 1 व 3 का कोई लेना–देना नही है। प्रार्थना पत्र के का चरण 3 में वर्णित पारिवारिक सजरा जिस तरह से वर्णित किया है, आंशिक रूप से स्वीकार है। मृतक चतुर्भुज के दो पुत्र गोकुल व जयकिशन स्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 1 गोकुल ने उनके जीवन काल मे ही प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि हाल खसरा नम्बर 652 रकबा 1.04 है0 एवं खसरा नम्बर 653 रकबा 0.01 है0 भूमि ग्राम उथरणा में स्थित भूमि मे से 1/2 हिस्से भूमि को प्रतिपक्षी संख्या 1 ने प्रतिपक्षी संख्या नरेश देवी पत्नी रामसिंह व प्रतिवादी संख्या 8 धर्मा देवी पत्नी आत्माराम बलाई नि0 रतनपुरा को दिनांक 22.01.2021 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कीमतन विक्रय कर दी थी तथा प्रतिवादी संख्या 2 जयकिशन ने भी प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 652 रकबा 1.04 है0 एवं खसरा नम्बर 653 रकबा 0.01 है0 भूमि ग्राम उथरणा में से 1/2 हिस्से अर्थात उसके सम्पूर्ण हिस्से की भूमि दिनांक 24.07.2009 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कीमतन प्रतिपक्षी संख्या 7 नरेश देवी को विक्रय कर दिया था तभी से उक्त आराजीयात भूमि प्रतिपक्षी नरेश देवी की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त में चली आ रही है। उक्त भूमि से प्रतिपक्षी संख्या 1 व 2 का अब किसी प्रकार कोई हिस्सा शेष नही रहा है। उक्त भूमि से प्रार्थी व प्रतिपक्षी 1 व 2 का अब कोई वास्ता नही रहा है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 4 जिस तरह से वर्णित किया है, स्वीकार है सेटलमेंट के बाद साबिका खसरा नमबर 1815 मिन हाल खसरा नम्बर 814 रकबा 1.04 है0 एवं साबिका खसरा न0 1814 के हाल खसरा न0 1815 के हाल खसरा नम्बर 815 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 चाह बना दिये गये उसके पश्चात् उथरणा ढाणी के राजस्व ग्राम बन जाने के कारण इनके नये खसरा नम्बर 652 रकबा 1.04 है0, एवं खसरा नम्बर 653 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 चाह ग्राम उथरना बना दिये गये है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 5 जिस तरह से वर्णित किया है, गलत है और स्वीकार नहीं है। प्रतिपक्षी संख्या 1 ने अपने जीवन काल मे ही उसके सम्पूर्ण हिस्से की भूमि जो ग्राम सांवतगढ़ मे स्थित है, को प्रतिपक्षी संख्या 7 व 8 विक्रय कर दी थी तथा शेष भूमि जो अन्य ग्राम सांवतगढ़ के आराजी खसरा न0 2019 रकबा 0.43 है0 बारानी–3 व खसरा न0 2020 रकबा 0.30 है0 कुल रकबा 0.73 है0 में से 1/2 हिस्सा अर्थात प्रतिपक्षी संख्या 1 गोकल ने अपने सम्पूर्ण हिस्से को प्रतिपक्षी संख्या 6 दुर्गालाल के नाम जरिये दानपत्र दिनांक 23.06.2021 को पंजीयन करवा दिया गया था, तथा प्रतिपक्षी संख्या 2 जयकिशन ने ग्राम उथरणा में स्थित खसरा नम्बर 652 रकबा 1.04 है0, एवं खसरा नम्बर 653 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 चाह कुल 1.05 है0. में से उसका सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिपक्षी संख्या 7 नरेश देवी पत्नी रामसिंह बलाई निवासी रतनपुरा सावंतगढ को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कीमतन 27.04.2009 को बेचान कर दिया था तभी से उक्त आराजीयात पर प्रतिपक्षी संख्या 7 उपयोग उपभोग कर रही है तथा वर्तमान में प्रतिपक्षी संख्या 7 की खातेदारी में दर्ज है। इसलिये उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का

कोई हिस्सा नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 6 जिस तरह से वर्णित किया है, गलत है और स्वीकार नही है। प्रतिपक्षी संख्या 1 ने स्वेच्छा पूर्वक सब रजिस्ट्रार कार्यालय देवली मे उपस्थित होकर प्रतिपक्षी संख्या पंजीयन कराया है, जिसका नामांतकरण भी तस्दीक किया जा चुका है उक्त विकय पत्र को प्रतिपक्षी संख्या 1 ने चेलेन्ज नही किया है प्रार्थी को किसी प्रकार का कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होने व तथकथित आराजीयात भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने के कारण प्रार्थी गलत एवं निराधार तथ्यों के आधार पर किसी प्रकार की रिलिफ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाये जाने योग्य है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 7 की पहली से तीसरी पंक्ति मे जिस तरह से तथ्य वर्णित किये है, गलत है और स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित किये है आराजीयात खसरा नं0 652 रकबा 1.04 है0 व खसरा नं0 653 रकबा 0.01 है0 कुल 1.05 है0 है ग्राम उथरना मे स्थित भूमि मे से 1/2 हिस्सा अर्थात विकेता गोकल पुत्र चत्रभुज के सम्पूर्ण हिस्से की रजिस्ट्री दिनांक 22.01.2021 को स्टाम्प पेपरस पर कम्यूटर पर अंकित करवाकर उक्त भूमि के विकय पत्र का पंजीयन सब रजिस्ट्रार कार्यालय देवली में दिनांक 4.02.2021 को रजिस्ट्री के समय प्रतिपक्षी संख्या 7 व 8 ने 1,50,000/– रूपये प्रतिपक्षी 1 गोकल को अदा कर भूमि कीमतन कय की थी तथा दिनांक 27.4.2009 को प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात खसरा नं0 652 रकबा 1.04 है0 व खसरा नं0 653 रकबा 0.01 है0 कुल 1.05 है0 है ग्राम उथरना मे स्थित भूमि मे से 1/2 हिस्सा अर्थात विकेता प्रतिपक्षी 2 जय किशन से उक्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 7 ने जरिये रजस्ट्रिर्ड विकय पत्र दिनांक 27.04.2009 को 100000–/ रूपये अक्षरे एक लाख रूपये कीमत अदा कर जमीन खरीदी है। उक्त भूमि प्रतिपक्षी संख्या 7 नरेश देवी का 3/4 हिस्से की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है तथा शेष 1/3 हिस्सा प्रतिपक्षी संख्या 8 धर्मा देवी है। प्रतिपक्षी संख्या 1 ने राजी खुशी से उसके 1/2 हिस्से की सम्पूर्ण आराजीयात भूमि को कीमतन जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र 4.02.2021 को प्रतिपक्षीगण संख्या 7 व 8 को विकय की थी तथा उक्त विकय पत्र के आधार पर प्रतिपक्षी संख्या 7 व 8 को विकय की थी तथा उक्त विकय पत्र के आधार पर प्रतिपक्षी संख्या 7 नरेश देवी व प्रतिपक्षी संख्या 8 धर्मा देवी के हक मे नामांतकरण भी तस्दीक किया जा चुका है उक्त प्रार्थना पत्र के शेष तथ्य गलत है और स्वीकार नही है। प्रतिपक्षीगण संख्या 7 व 8 का प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीया भूमि में बतौर खातेदारी कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त भी नही है। इसीलिए प्रार्थी को प्रतिपक्षीगण संख्या 6, 7, 8 के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकारी नही है। प्रार्थी अपने ने अपने पिता प्रतिपक्षी संख्या 1 गोकल से ग्राम सावंतगढ़ में स्थित भूमि खसरा न0 2027 रकबा 0.55 है0 भूमि जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र के प्रार्थी की पत्नि समीला देवी पत्नि पर्वतसिंह जाति बलाई निवासी सांवतगढ रतनपुरा के नाम भूमि का पंजीयन कराया गया है। खसरा नं0 2027 रकबा 0.55 है0 में सिंचाई हेतु बोरिंग किया हुआ है। जिसका उपयोग प्रार्थी पर्वतसिंह व उसकी पत्नि समीला देवी करती चली आ रही है। प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्या 6 के पिता गोकुल व प्रतिपक्षी संख्या 7 व 8 के ससुर गोकुल ने राजी खुशी जरिये रजिस्टर्ड सब रजिस्ट्रार कार्यालय देवली में उपस्थित होकर पंजीयन कराया गया है। उक्त प्रा0 पत्र में प्रार्थी ने गलत एवं निराधर तथ्य अंकित कर अपने भाईयो से पारिवारिक रंजिश रखने एवं पिताजी की पेंशन राशि 40000/– रूपये की राशि हर माह हड़पने के कारण तथा उसके मन में बेईमानी आ जाने से वाद पत्र में गलत तथ्य वर्णित करते हुए अपने पिता को प्रतिपक्षी संख्या 1 बनाकर उसके हक में जवाब प्राप्त करने के. आशय से झूठा प्रार्थना प्रस्तुत किया गया है जो प्रथम दृष्टिया ही खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र का चरण नं0 8 जिस तरह से वर्णित किया है, गलत है और स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रतिपक्षीगण नं0 7 व 8 की खरीद शुदा आराजीयात भूमि है। जिसके सम्पूर्ण हिस्से पर प्रतिपक्षीगण 7 व 8 का कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का किसी प्रकार कोई कब्जा काश्त नही है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उसका 1/12 हिस्सा गलत वर्णित

किया है। प्रतिपक्षी संख्या 1 गोकुल ने आराजी खसरा नं0 652 रकबा 1.04 है0 व खसरा नं0 653 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 चाह ग्राम उथरना मे स्थित भूमि के सम्पूर्ण हिस्से का पंजीयन दिनांक 4.2.2021 को प्रतिपक्षी 4 की पत्नि प्रतिपक्षी संख्या 6 नरेश देवी व प्रतिपक्षी संख्या 5 की पत्नि प्रतिपक्षी संख्या 7 धर्मा देवी के हक में विक्रय पत्र पंजीयन करवा दिया था जिसमे प्रतिपक्षी 1 का कोई हिस्सा शेष नही रहा। इसी प्रकार प्रतिपक्षी संख्या 2 जयकिशन पुत्र चतर्भुज बलाई ने आराजी खसरा नं0 652 रकबा 1.04 है0 व खसरा नं0 653 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 ग्राम उथरना के सम्पूर्ण हिस्से का विक्रय पत्र पंजीयन दिनांक 27.04.2009 को प्रतिपक्षी संख्या 7 नरेश देवी को उक्त भूमि विक्रय करी थी। इसीलिए उक्त सम्पूर्ण अराजी में प्रतिपक्षी संख्या 1 व 2 का किसी प्रकार को कोई हिस्सा शेष नही रहा। प्रतिपक्षीगण नम्बर 7 व 8 प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के बोनाफाईड परचेजर है और उक्त भूमि प्रतिपक्षीगण नम्बर 7 व 8 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है। प्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा ही नही है, तो उक्त भूमि को सिंचित करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 9 प्रार्थी ने जिस तरह से वर्णित किया है, गलत है और स्वीकार नहीं है। जब प्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त ही नही है, तो उसके उपयोग–उपभोग मे मजमहत उत्पन्न करने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता। प्रार्थी ने उक्त चरण में अपना 1/12 हिस्सा गलत रूप से वर्णित किया है। प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्या 4, 5 व 6 के पिता गोकुल ने प्रतिपक्षी संख्या 2 जयकिशन ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि खसरा नं0 652 रकबा 1.04 है0 व खसरा नं0 653 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 चाह ग्राम उथरना के सम्पूर्ण हिस्स की भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के प्रतिपक्षी संख्या 7 व 8 को बेचान कर दिये जाने से उक्त भूमि में प्रतिपक्षी संख्या 1 व 2 का कोई हिस्सा शेष ही नही रहा तो प्रार्थी का 1/12 हिस्सा कहा से आ गया। प्रार्थी ने अपने पिता गोकुल प्रतिपक्षी नंबर 1 से अपनी पत्नि समीला के नाम ग्राम सांवतगढ मे स्थित भूमि खसरा नं0 2027 रकबा 0.55 है0 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वर्ष 2021 में 0.55 है0 भूमि अपनी पत्नि समीला के नाम करवा ली ओर समीला के नाम की खातेदारी की भूमि को प्रार्थी को कोई लेना–देना नहीं है। उक्त भूमि में जब प्रार्थी का कब्जा काश्त ही नही है, तो उसके हिस्से मे बाधा पहुॅचने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। प्रार्थी के नाम व कब्जे में ग्राम उथरना मे कोई भूमि ही नहीं है, तो उसके द्वारा खसरा नंबर 653 के सिंचित करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। प्रतिपक्षी संख्या 7 व 8 प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के सदभाविक क्रेता है। जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड मे प्रतिपक्षीगण नंबर 7 व 8 का नामांतकरण तस्दीक होकर अमल भी हो चुका है। पूर्व विक्रेतागण प्रतिपक्षी संख्या 1 व 2 ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं काराया गया है और ना ही नामान्तकरण के विरूद्ध अपील की गयी है। प्रार्थी को किसी प्रकार का वाद व प्रार्थना पत्र प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत करने का अधिकार नही होने से उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिपक्षीगण नम्बर 7 व 8 अपनी खरीद शुदा खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि को हर प्रकार से रहन, बेचान, दान, वसि़यत इत्यादि से हस्तान्तरण करने के समस्त मालिकाना अधिकार है। प्रार्थी बैसलेश प्रार्थना पत्र के आधार पर न्यायालय के किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाये जाने योग्य है। प्रतिपक्षीगण 9, 10, 11 राजस्थान सरकार के लोक अधिकारीगण है, जिनके विरूद्ध प्रार्थना पत्र व वाद प्रस्तुत करने से पूर्व उन्हे धारा 80(2) सी0पी0सी0 के तहत दो माह का नोटिस दिया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्यायसंगत है, लेकिन प्रार्थी ने वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुति से पूर्व राज्य सरकार को दो माह का नोटिस नही दिया गया तथा उन्हें न्यायालय द्वारा भी किसी प्रकार की कोई स्वीकृति नहीं दी गयी। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी गलत तथ्यों के आधार पर प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध किसी प्रकार निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टिया ही खारिज किये जाने योग्य है प्रार्थना पंत्र चरण नंबर 10 जिस तरह से वर्णित किया है, गलत है और स्वीकार नही है। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने प्रतिपक्षी संख्या 2 को सह खातेदार होना

Ruby

वर्णित किया है, प्रतिपक्षी संख्या 2 सह खातेदार नहीं है तथा प्रतिपक्षी संख्या 3 का हिस्सा भी बताया गया है जबकि उक्त भूमि प्रतिपक्षीगण नंबर 1 व 2 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के प्रतिपक्षी संख्या 7 व 8 को विक्रय की जा चुकी है और प्रतिपक्षीगण नंबर 7 व 8 उक्त आराजीयात के सम्पूर्ण हिस्से मे खातेदार काबिज काश्तकार है। प्रार्थी व प्रतिपक्षीगण नंबर 1 व 2 का किसी प्रकार का कोई हिस्सा नही है प्रार्थना पत्र बिना किसी आधार के पेश किया है, जो प्रथम दृष्टिया ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रतिपक्षीगण संख्या 4, 5, 6, 7 व 8 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो का ही दोहरान किया।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने इकबालिया जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों का ही दोहरान किया।

अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों का ही दोहरान किया।

अप्रार्थी संख्या 2 व 3 एवं 9 ता 11 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

अप्रार्थी संख्या 12 को उक्त वर्णित आराजीयात यहां रहन होने से फॉर्मल पक्षकार बनाया गया है।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। खसरा नम्बर 652 रकबा 1.04 है0 एवं खसरा नम्बर 653 रकबा 0.0100 है0 कुल किता–2, कुल रकबा 1.0500 है0 वाके ग्राम उथरणा पटवार हल्का चांदली तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी एवं प्रतीपक्षी संख्या 1 ता 8 की पुश्तेनी आराजीयात है जिससे प्रार्थी का भी 1/12 हिस्सा होने एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब में इकबालिया जवाब पेश करने से प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होते है जिससे अप्रार्थीगण 4 ता 8 को जरिये निषेधाज्ञा से मूलवाद तक पाबंद करना उचित प्रतीत होता है। **अतः** खसरा नम्बर 652 रकबा 1.04 है0 एवं खसरा नम्बर 653 रकबा 0.0100 है0 कुल किता–2, कुल रकबा 1.0500 है0 वाके ग्राम उथरणा पटवार हल्का चांदली तहसील देवली जिला टोंक **प्रतिवादीगण 4 ता 8 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद तक पाबन्द किया जाता है कि वे स्वयं जरिये एजेन्ट नौकर, चाकर एवं अन्य पारिवारिक सदस्यो के उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थी के 1/12 हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा नही करें। प्रार्थी को भूमि से बेदखल नही करें तथा प्रार्थी के हिस्से की भूमि की हद तक प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की मजामहत नही करें। प्रार्थी के हिस्से की हद तक खसरा नम्बर 653 से सिंचित करने में मजामहत नही करे। प्रार्थी के 1/12 हिस्से की भूमि की हद तक प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी भूमि को अन्य किसी व्यक्ति या संस्था को रहन, दान, बेचान, वसीयत व खुर्द बुर्द नही करें या अन्य किसी प्रकार से हस्तांतरण नही करे। प्रतिवादी संख्या 10 व 11 को अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला मूलवाद तक पाबंद किया जाता है कि उक्त आराजीयात बाबत् किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत हो तो पंजीयन नही करे राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।** पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न होकर बाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
देवली
उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)